



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/ 2012-13 पुनरीक्षण R 2300-I/13

1. भगवान सिंह पुत्र पूर सिंह राजपूत
2. मान सिंह पुत्र पूर सिंह राजपूत
3. मदन सिंह पुत्र पूर सिंह राजपूत
4. करण सिंह पुत्र पूर सिंह राजपूत

समस्त निवासीगण ग्राम डिडोर तहसील
गरोड जिला मंदसौर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

गब सिंह पुत्र पूर सिंह राजपूत

निवासी ग्राम डिडोर तहसील गरोड जिला
मंदसौर (म.प्र.)

..... अनावेदक

गरोड

न्यायालय तहसीलदार ~~गरोड~~ द्वारा प्रकरण कं. 28/अ-6/

2011-12 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 24.5.13 के विरुद्ध

म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत

पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 24.5.13 अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

WS

मुकेश भार्गव
17-6-13 एडवोकेट
ग्वालियर


17/6/13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2300-एक/13

जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>